

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक:


26 SEP 2019

—: आदेश :—

इस विभाग के आदेश क्रमांक: प.4(3)साप्र / 5 / 2016 दिनांक: 03.09.2019 के द्वारा निम्नांकित आवंटियों को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर के अस्थाई आवास का निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-


क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या
1.	डॉ० शशि भूषण शर्मा, सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन विभाग, सवाई मानसिंह महाविद्यालय, जयपुर	6600/- L-16	17/TH 2019	G-1/2 NTH
2.	श्रीमती अशदीप बरार, आर०ए०ए० (प्रशिक्षु), हरिश्चन्द्र माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	5400/- L-14	18/TH 2019	G-5/2 NTH

राज्यपाल की आज्ञा से


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष।
3. कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव